बिहार सरकार

MOFPI
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
GOVERNMENT OF INDIA

उद्योग विभाग

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना

PMFME

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय

जिला नोडल पदाधिकारियों (DNO) की सूची

क्र0	जिला का नाम	सम्पर्क पदाधिकारी	मो0 नं0
1	अररिया	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923225
2	अरवल	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923226
3	औरंगाबाद	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923227
4	बांका	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923228
5	बेगूसराय	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923229
6	भागलपुर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923230
7	भोजपुर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923231
8	बक्सर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923232
9	दरभंगा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923233
10	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923234
11	गया	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923235
12	गोपालगंज	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923236
13	जमुई	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923237
14	जहानाबाद	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923238
15	कैमूर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923239
16	कटिहार	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923240
17	खगड़िया	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923241
18	किशनगंज	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923242
19	लखीसराय	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923243
20	मधेपुरा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923244
21	मधुबनी	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923245
22	मूंगेर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923246
23	मुजफ्फरपुर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923247
24	नालंदा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923248
25	नवादा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923249
26	पटना	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923250
27	पूर्णियाँ	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923251
28	रोहतास	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923252
29	समस्तीपुर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923253
30	सारण	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923254
31	शेखपुरा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923255
32	सहरसा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923256
33	शिवहर	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923257
34	सीतामढ़ी	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923258
35	सिवान	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923259
36	सुपौल	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923260
37	वैशाली	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923261
38	प0 चम्पारण (बेतिया)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	7320923262

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना

संक्षिप्त मार्गदर्शिका

1. भूमिका

1.1 लगभग 25 लाख उद्यमों वाला असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य उद्यम क्षेत्र के कुल रोजगार में 74% का योगदान करता है। इनमें से लगभग 66% उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और लगभग 80% उद्यम परिवार आधारित उद्यम हैं जो ग्रामीण पारिवारिक आजीविका में सहायक हैं और शहरी क्षेत्रों में उनके पलायन को कम करती हैं। अधिकांशतः ये सूक्ष्म उद्यम हैं।

1.2 इन उद्योगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे इनका काम एवं विस्तार सीमित हो जाता है। इन चुनौतियों में, आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, सांस्थानिक ऋण की उपलब्धता, उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में जानकारी की कमी तथा ब्रांडिंग एवं विपणन कौशल की कमी शामिल हैं। इसलिए, असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अपनी भारी क्षमता के बावजूद मूल्यवर्द्धन तथा आउटपुट के संदर्भ में बहुत कम योगदान कर पाता है।

74%

खाद्य उद्यम क्षेत्र के कुल रोजगार में 74% का सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का करता है।

80%

खाद्य प्रसंस्करण के 80% उद्यम परिवार आधारित हैं जो ग्रामीण पारिवारिक आजीविका में सहायक हैं।

2. उद्देश्य

2.1 असंगठित खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के योगदान और उनके कार्य निष्पादन में बाधा पहुंचाने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय ने एक पैकेज सहायता तथा सेवाओं के माध्यम से "पीएमएफएमई- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" शुरू की है। राज्य में इस योजना का संचालन खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है।

योजना के उद्देश्य :-

(i) तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड-होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों का क्षमता निर्माण।

(ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों एफ.पी.ओ स्वयं-सहायता समूहों एवं सहकारिताओं को ऋण दिलाना।

(iii) सूक्ष्म उद्यमों को साझा सेवाओं का लाभ लेने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी), उत्पादक सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में सहायता करना।

(iv) मौजूदा 2 लाख उद्यमों को विभिन्न सरकारी पंजीकरण हेतु औपचारिक फ्रेमवर्क में अंतरण करने के लिए सहायता देना।

(V) ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण करना।

3. शामिल किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों तथा वित्तपोषण का पैटर्न

3.1 यह वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के 5 वर्षों के लिए 2,00,000 उद्यमों को लाभ देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना के अंतर्गत व्यय में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात, पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात, विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 60:40 के अनुपात और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्र द्वारा योगदान किया जाएगा।

3.2 प्रथम वर्ष अर्थात 2020-21 में केंद्र अथवा राज्य द्वारा किए जाने वाला व्यय का वहन 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रथम वर्ष के लिए किया गया व्यय, राज्यों को अगले चार वर्षों में हस्तांतरित की जाने वाली निधियों में समान रूप से उपर्युक्त औसत से समायोजित किया जाएगा। मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों के समर्थन के संबंध में, ''एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)'' दृष्टिकोण के तहत् उत्पादन करने वालों को

GOV

60:40

बिहार राज्य के अंतर्गत इस योजना में केन्द्र और राज्य की भागीदारी।

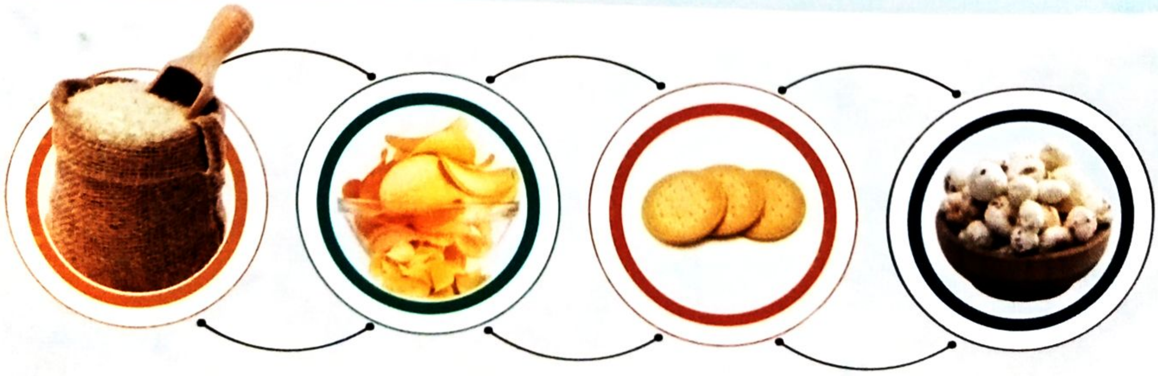

प्राथमिकता दी जाएगी। हालाँकि, अन्य उत्पादों का उत्पादन करने वाली उद्यमों का भी समर्थन किया जाएगा। समूहों के मामले में प्रभावी रूप से "एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)" उत्पादों में शामिल उद्योगों को सहायता में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे जिलों में अन्य उत्पादों का प्रसंस्करण करने वाले समूहों को सहायता केवल उन्हीं को दी जाएगी जो ऐसे उत्पादों का पहले से प्रसंस्करण कर रहे हैं और जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय तथा उद्यमी क्षमता है। प्राथमिकता के आधार पर "एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)" दृष्टिकोण के तहत् उत्पादों के लिए साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन दिया जाएगा। राज्य अथवा क्षेत्र स्तर पर विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए सहायता के मामले में जिलों के समान उत्पादों को भी जिनमें वही उत्पाद "एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)" के रूप में नहीं हैं, शामिल किया जा सकेगा।

3.3 योजना के अंतर्गत निधियाँ राज्यों की अनुमोदित प्रोजेक्ट कार्यान्वयन प्लान (पीआईपी) के आधार पर राज्यों को दी जाएगी।

4. एक जिला-एक उत्पाद : कलस्टर दृष्टिकोण

4.1 इस योजना में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के तहत् कृषि उत्पाद की खरीद, साझा सेवाओं का लाभ लेने तथा उत्पादों के विपणन के संदर्भ में पैमाने के लाभों को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण, वैल्यू चेन और बुनियादी ढाँचे इत्यादि में प्राथमिकता दी जाएगी।

4.2 योजना में बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज को मजबूत करने, साझा सुविधाओं, इनक्यूबेशन केंद्रों, प्रशिक्षण, रिसर्च, विपणन और ब्रांडिंग की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा कलस्टर दृष्टिकोण से भी सरकार के मौजूदा प्रचार प्रयासों से लाभान्वित होगा। "कृषि निर्यात नीति" के तहत् कृषि फसल समूहों का विकास, राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण मिशन के माध्यम से कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के कलस्टर दृष्टिकोण से लाभान्वित किया जायेगा।

योजना में बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज को मजबूत करने, साझा सुविधाओं, इनक्यूबेशन केंद्रों, प्रशिक्षण, रिसर्च, विपणन और ब्रांडिंग की सहायता दी जाएगी।

5. खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता

(i) इकाइयों के उन्नयन हेतु विद्यमान असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत की 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।

(ii) निर्धारित अधिकतम सीमा तक पूंजी व्यय के लिए स्वयं सहायता समूहों/ एफपीओ/सहकारिताओं को परियोजना लागत की 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।

(iii) वर्किंग कैपिटल के रूप में खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के प्रति सदस्य को 40,000/- रुपए की दर से प्रारंभिक पूँजी।

(iv) निर्धारित अधिकतम सीमा तक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना लागत की 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।

(v) बिक्री और ब्रांडिंग निर्धारित सीमा तक व्यय के 50% तक के लिए सहायता।

35%

निर्धारित अधिकतम सीमा तक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना लागत की 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता।

6. प्रसंस्करण इकाइयों का उन्नयन

(क) व्यक्तिगत श्रेणी : व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, वर्तमान उद्योगों का विस्तार/प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं जिसकी अधिकतम लागत 10 लाख रुपए प्रति उद्यम तक हो सकती हैं। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए।

(ख) पात्रता मानदंड

(i) उद्यम के स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत/भागीदार फर्म।

(ii) मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यम जो कि सर्वे या रिसोर्स पर्सन द्वारा जांचे गए हों।

(iii) आवेदक 18 वर्ष से अधिक का हो ।

(iv) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए "परिवार" में स्वयं, पत्नी और बच्चे शामिल होंगे।

(ग) उन्नयन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:-

(I) योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक मौजूदा अथवा प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/इकाइयों को पी.एम.एफ.एम.ई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना चाहिए। जांच के बाद बैंकों को ऋण प्रस्तावों की सिफारिश की जाएगी। राज्य स्तर पर बैंकों द्वारा सिफारिश की जाने वाले आवेदनों की सूची पर निर्णय लिया जा सकता हैं।

(ii) अनुदान हेतु बैंक के साथ कार्रवाई।

(iii) राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों को सब्सिडी वितरित करने और लाभार्थियों को लाभ देने के लिए अन्य बैंकों के साथ संपर्क करने लिए नोडल बैंक नियुक्त किया जाएगा। ऋण स्वीकृत करने वाला बैंक लाभार्थी के नाम से एक और एकाउंट खोलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 अनुपात में अनुदान क्रमशः राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ऋण देने वाले बैंक में लाभार्थी के इस खाते में जमा किया जाएगा।

7. सामान्य अवसरंचना का सृजन

एफपीओ / एसएचजी / उत्पादक सहकारिताओं / राज्य एजेंसियों अथवा निजी उद्यमियों को साझा प्रसंस्करण सुविधा, इन्क्यूबेशन केंद्र, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि सहित साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन के लिए दी जाएगी। इस श्रेणी के अंतर्गत पात्रता किसानों के अन्य उद्यमों का लाभ, क्वालिटी अंतर, निजी निवेश की अनुपस्थिति, मूल्य श्रृंखला के लिए महत्त्व आदि के आधार पर निश्चित की जाएगी। क्रेडिट लिंक्ड अनुदान यथा-निर्धारित अधिकतम 35% तक उपलब्ध होगा।

8. ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता

(i) साझा पैकेजिंग और ब्रांडिंग विकसित करने, गुणवत्ता नियंत्रण, मानकीकरण के साथ साझा पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग का विकास करने तथा उपभोक्ता फुटकर बिक्री के लिए खाद्य संरक्षा पैरामीटरों का पालन करने के लिए ''ओडीओपी'' प्राथमिकता का दृष्टिकोण अपनाते हुए योजना के अंतर्गत एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताओं अथवा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीभी को ब्रांडिंग और बिक्री सहायता दी जाएगी।

(ii) साझा विपणन और ब्रांडिंग के लिए न्यूनतम खर्च की आवश्यकता होती है जिसे एक साथ बड़ी संख्या में उत्पादकों को लाने के लिए एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है। इन संगठनों को डीपीआर के अनुरूप समर्थन दिया जाएगा। ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रस्तावों हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राज्य नोडल एजेंसी से उपलब्ध होगी।

(iii) ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ कुल व्यय का 50% तक सीमित होगा। ब्रांडिंग और विपणन के लिए राज्यों या राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के प्रस्तावों को राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के लिए समर्थन दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत रिटेल आउटलेट शुरू करने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

(iv) सहायता के आवेदन करने की प्रक्रिया : योजना के अंतर्गत ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता हेतु आवेदन करने में रुचि रखने वाले एसएचजी / एफपीओ / सहकारी समितियां डीपीआर राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को प्रस्तुत करेंगी। राज्य नोडल एजेंसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी और राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (एसएलएसी) की सिफारिश के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करेगी। उसके पश्चात् प्रस्ताव ऋण की मंजूरी हेतु बैंक को संपुष्ट किया जाएगा। साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर के सृजन हेतु सहायता के लिए आवेदन करने हेतु भी यही प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

50%

ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन निर्धारित अधिकतम सीमा के साथ कुल व्यय का 50% तक सीमित होगा।

ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रस्तावों हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राज्य नोडल एजेंसी से उपलब्ध होगी।

9. क्षमता निर्माण और अनुसंधान

(i) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के तकनीकी उन्नयन और औपचारिकीकरण में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अवयव है। प्रत्येक लाभार्थी और अनुदान लेने वाले संस्थान अपने कौशल का उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जिले में **''ओडीओपी''** (प्राथमिकता) उत्पाद बनाने वाली अन्य मौजूदा व्यक्तिगत इकाइयों और समूहों यदि उन्हें क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान के माध्यम से सहायता न भी दी जा रही हो तो भी प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण सहायता उन उद्योगों को भी दी जाएगी जो विपणन और ब्रांडिंग की सहायता लेंगे अथवा ऐसे नेटवर्क से जोड़ने की क्षमता रखते हों।

(ii) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधक संस्थान (निफ्टेम) और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी), MOFPI के तहत् दो राष्ट्रीय स्तर के फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी संस्थानों को क्षमता निर्माण और अनुसंधान की राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दी गयी है। राज्य स्तर पर वे क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा चयनित खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में एक राज्य स्तरीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ भागीदारी करेंगे।

(iii) व्यक्तिगत एवं समूह लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण उद्यमशीलता विकास, उद्यम प्रचालनों के अनिवार्य कार्यों, खाताबही, पंजीकरण, एफएसएसएआई मानकों, उद्योग आधार, जीएसटी पंजीकरण, सामान्य हाईजीन, पैकेजिंग, विपणन इत्यादि पर फोकस करेगा। **''ओडीओपी''** के मॉडल उत्पाद पर डिजाइन किया गया विशिष्ट प्रशिक्षण उद्यमियों के कार्य स्थल के निकट चलाया जाएगा। ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) और जिला स्तर पर अन्य संस्थानों की मौजूदा अवसंरचना प्रशिक्षण देने के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

प्रशिक्षण

प्रत्येक लाभार्थी और अनुदान लेने वाले संस्थान अपने कौशल का उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

ओडीओपी

के मॉडल उत्पाद पर डिजाइन किया गया विशिष्ट प्रशिक्षण उद्यमियों के कार्य स्थल के निकट चलाया जाएगा।

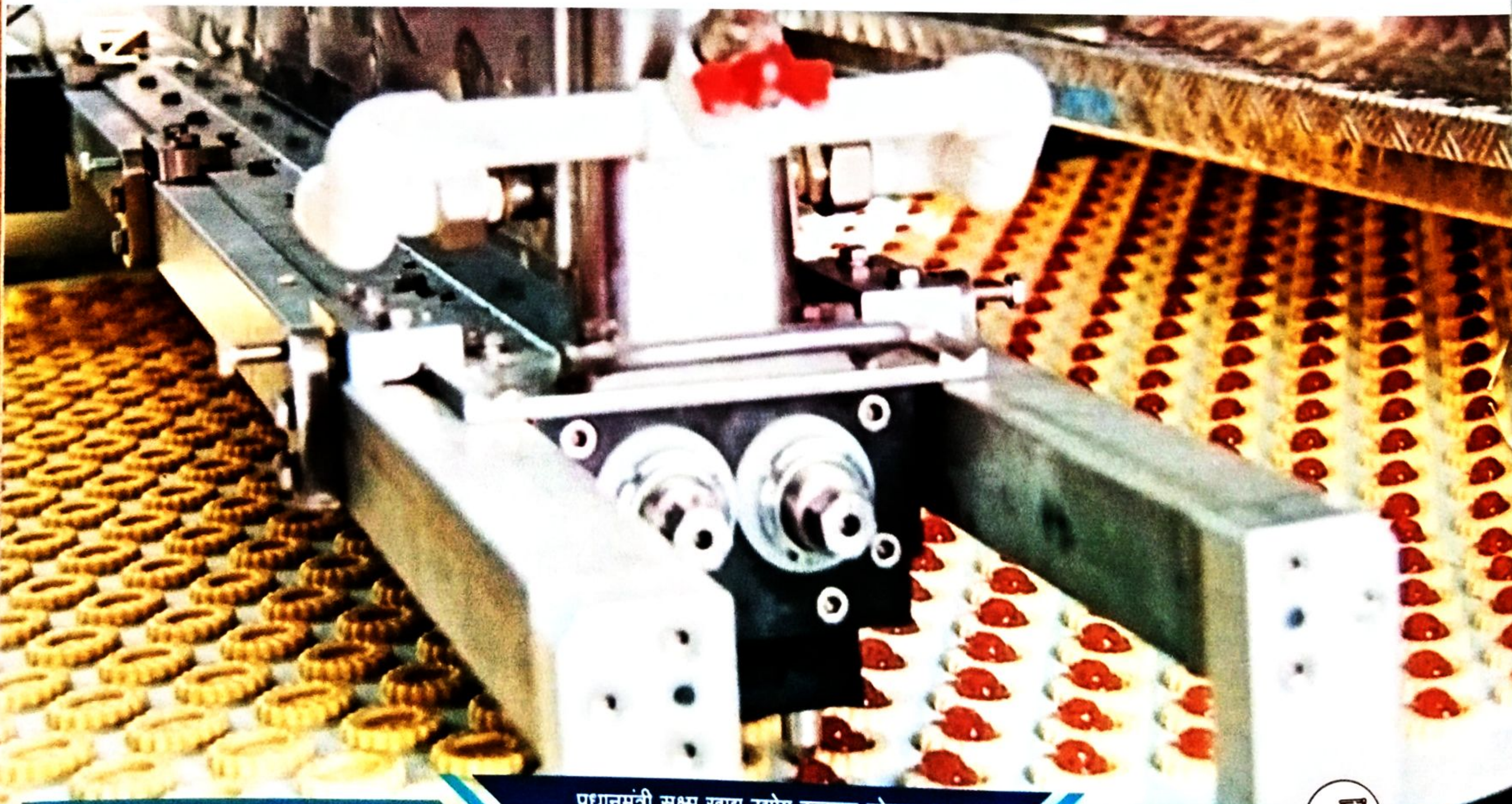

10. साझीदार संस्थान

(i) योजना में एससी / एसटी, महिला एवं महत्वाकांक्षी जिलों तथा एफपीओ, एसएचजी व उत्पादक समितियों पर विशेष फोकस किया गया है। ट्राइफैड, राष्ट्रीय एससी विकास वित्त निगम, एनसीडीसी, लघु कृषक कृषि-कारोबार संघ (एसएफएसी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इन क्षेत्रों में कार्य करते रहे हैं। उपर्युक्त संस्थान क्रमशः अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति के उद्योगों/ कलस्टरों, सहकारिताओं, एफपीओ और एसएचजी की पहचान कर उनको सहायता प्रदान कर उनके प्रस्तावों को राज्य सरकार को समर्पित करेंगे।

11. कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तंत्र

(i) योजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर निम्नलिखित प्रबंधन संरचना होगी-

(क) अंतर मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (आईएमईसी) : केंद्रीय स्तर पर आईएमईसी की अध्यक्षता मार्गदर्शन तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र दिशा, प्रगति की निगरानी और इसके निष्पादन की समीक्षा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (एमओएफपीआई) द्वारा की जाएगी। आईएमईसी योजना के गाइडलाईन, योजना के अंतर्गत राज्यों की प्रोजेक्ट कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) तथा एसएचजी / एफपीओ / सहकारिताओं, साझा इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा विपणन और ब्रांडिंग के 10 लाख रुपए से अधिक पूंजी निवेश के प्रस्ताव अनुमोदित करेगी। प्रशासनिक कार्य संचालित करने तथा नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में परियोजना कार्यकारी समिति (पीईसी) गठित की जाएगी। सचिवालयी, प्रबंधकीय एवं कार्यान्वयन सहायता देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सहायता हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (एनपीएमयू) स्थापित की जाएगी।

(ख) राज्य स्तरीय : योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्य सरकार नोडल विभाग और राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी । योजना का कार्यान्वयन में सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य परियोजना प्रबंधन यूनिट (SPMU) का चयन राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) द्वारा किया जाएगा। मुख्य सचिव की

अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (SLAC) योजना के कार्यान्वयन की निगरानी एवं अनुश्रवण करेगी। यह समिति योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों पर होने वाले व्यय के लिए 10 लाख रुपए तक की स्वीकृति देगी। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) गठित की जाएगी।

(ग) **लाभार्थियों को हैंड-होल्डिंग** सहायता देने के लिए राज्य नोडल एजेंसी (**SNA**) द्वारा रिसोर्स पर्सन (DRP) नियुक्त किए जाएंगे। जिसका कार्य लाभार्थियों को हैंड-होल्डिंग सहायता, डीपीआर तैयार करने, बैंक ऋण लेने, आवश्यक पंजीकरण प्राप्त करने तथा एफएसएसएआई के मानकों का निबंधन, उद्यम आधार, जीएसटी इत्यादि सहित लाइसेंस के लिए होगी।

12. इस योजना का विस्तृत दिशानिर्देश मंत्रालय की वेबसाइट **mofpi.nic.in** पर देखा जा सकता है और विशेष जानकारी जिला स्तर पर कार्यालय, जिला उद्योग केन्द्र, मुख्यालय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं उद्योग मित्र, बिहार, पटना से प्राप्त किया जा सकता है।

जिला संसाधन सेवियों (DRP) की सूची

क्र0	जिला का नाम	संसाधन सेवी का नाम	संसाधन सेवी का मो0 नं0
1	अररिया	पियुष कुमार यादव	7909025163
		निशांत कुमार	8298655577
2	अरवल	पवन कुमार	9852613699
3	औरंगाबाद	अश्विनी कुमार पाण्डेय	6200272904
		साकेत बिहारी	9785673270
4	बांका	विवेक कुमार	6299420701
		संजन कुमार भारती	7004320993
5	बेगूसराय	राहुल कुमार	7983818012
		आरती कुमार	6396075637
		रविशंकर कुमार	9430553307
6	भागलपुर	मिथिलेश कुमार	7766045220
		अभिषेक कुमार	9060691895
7	भोजपुर	प्रभुनाथ मिश्रा	7004519645
		निरज कुमार	9661809660
8	बक्सर	प्रेम कुमार यादव	7236920219
		ओम नारायण राय	8787201324
9	दरभंगा	श्रवण कुमार राय	7985193639
		कन्हैया कुमार	9525894062
		रवि कुमार	9709423794
10	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	सुजीत कुमार गुप्ता	9795544335
		राहुल कुमार रंजन	8051638282
11	गया	रमेश कुमार पूर्वी	9709423794
		राकेश प्रियदर्शी	9931998414
		शिखा प्रियदर्शनी	7056274415
12	गोपालगंज	दीपक कुमार	7004959693
		सोनू कुमार प्रसाद	7236001666
13	जमुई	प्रिन्स राज	6200740810
14	जहानाबाद	कुमार गौरव	9024038454
15	कैमूर	अरीन कुमार	8386162890
		रवि रंजन कुमार	7488182192
16	कटिहार	मो0 तहसीन राजा	7301471255
17	खगड़िया	रौशन कुमार	6201491824
		सुशान्त सौरव	8298630540
18	किशनगंज	प्रमोद कुमार	9284624340
19	लखीसराय	हर्ष अग्रवाल	8873494007
		प्रज्ञानन्दा कुमारी	8709633953
		आकाश कुमार राज	7488537228

20	मधेपुरा	अंशु कुमार सिंह	8709473674
		प्रशांत कुमार	7903533295
		रीपियन कुमार	7488537228
21	मधुबनी	प्रशांत कुमार	7004337346
		हेमन्त कुमार	8271595995
		अनिश आनन्द	8825106373
22	मूंगेर	आनन्द साही	8433062828
23	मुजफ्फरपुर	रश्मि किशोरी	8210157411
		मृणाल राज	9102474504
		अनुरंजन कुमार	9852087390
24	नालंदा	दीपक कुमार	7903891143
		अदित्य प्रताप	9631788621
25	नवादा	गौरव कुमार	7766069622
		गुलशन कुमार	9162639187
26	पटना	रवि रंजन कुमार	9304331383
		रितेश कुमार	6394039362
27	पूर्णियाँ	प्रभात रंजन	9650288689
		सुमन सागर	8279662343
		संदीप कुमार	8051693241
28	रोहतास	गौरव आनन्द	7668688305
		कुमारी गरिमा सिन्हा	7667466042
29	समस्तीपुर	अंकित कुमार	8210471319
		अवकाश कुमार आनन्द	7763994500
30	सारण	किशोर	9504815856
		मंजीत पाण्डेय	7004417827
31	शेखपुरा	आरती कुमार	8881448435
32	सहरसा	मनीष कुमार	6204467420
		दिलीप कुमार	9955367344
33	शिवहर	दीनानाथ कुमार	8699194798
		रंजन कुमार	9135285336
34	सीतामढ़ी	रौशन कुमार	7250302642
		अमरेन्द्र कुमार	9142594938
35	सिवान	अमिना अंजुम	7978667186
		आदित्य अजय	7417181734
36	सुपौल	प्रत्युष कुमार	6397842295
		सुरज कुमार	6395543284
37	वैशाली	विजय कुमार	8969040551
		गोविन्द कुमार	8292128856
38	प0 चम्पारण (बेतिया)	धीरज कुमार	9102637754
		रंजीत कुमार पाण्डेय	8002418865

Design & Print @ Gyan Ganga Creations # 09334110685